न्यायालयः—प्रथम जिला न्यायाधीश, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
(समक्ष—श्रीमती ज्योति राजपूत)

आर.सी.ए. क्रमांक—04/2022
फाइलिंग नम्बर—आरसीए 59/2022
सीएनआर—एमपी0706—0000282—2022
रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.01.2022

मनीष दुबे आयु लगभग 50 वर्ष, पुत्र स्व. श्री आर.के.दुबे, निवासी— जंगीपुरा डबरा, कृषक ग्राम अरूं तहसील डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र.

.......अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. जीवनलाल बघेल आयु लगभग 80 वर्ष
2. प्रभूदयाल बघेल आयु लगभग 70 वर्ष
3. सेवाराम बघेल आयु लगभग 66 वर्ष
   पुत्रगण स्व. श्री चरणा बघेल समस्त निवासीगण— ग्राम अरू तहसील डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र.
4. म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय ग्वालियर कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट ओहदपुर सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र.
5. जसपाल सिंह आयु लगभग 37 वर्ष पुत्र स्व. श्री करनेल सिंह जाति जट सिख निवासी रामगढ़ पुल के पास ग्वालियर झांसी रोड़ डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र. हाल उपजेल डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

...प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा	श्री डी.के.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 द्वारा	श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 03	एक पक्षीय।
प्रत्यर्थी क्रमांक 04 द्वारा	श्री मनोज तिवारी ए.जी.पी.।
प्रत्यर्थी क्रमांक 05 द्वारा	श्री ए.के.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

एवम्

आर.सी.ए. कमांक–07/2022
फाइलिंग नम्बर–आरसीए 68/2022
सीएनआर–एमपी0706–000315–2022
रजिस्ट्रेशन दिनांक 29.01.2022

जसपाल सिंह आयु लगभग 37 वर्ष पुत्र स्व. श्री करनेल सिंह जाति जट सिख निवासी रामगढ़ पुल के पास ग्वालियर झांसी रोड़ डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र. हाल उपजेल डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

.....अपीलार्थी/प्रतिवादी कं.05

बनाम

1. मनीष दुबे आयु लगभग 50 वर्ष, पुत्र स्व. श्री आर.के.दुबे, निवासी– जंगीपुरा डबरा कृषक ग्राम अरू तहसील डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र.

........वादी

2. जीवनलाल बघेल आयु लगभग 80 वर्ष

3. प्रभूदयाल बघेल आयु लगभग 70 वर्ष

4. सेवाराम बघेल आयु लगभग 66 वर्ष
   पुत्रगण स्व. श्री चरणा बघेल समस्त निवासीगण ग्राम अरू तहसील डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र.

5. म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय ग्वालियर कार्यालय न्यू कलेक्ट्रेट ओहदपुर सिटी सेंटर ग्वालियर म.प्र.

....प्रत्यर्थी कं.02 लगायत 04/प्रतिवादी कं. 01 लगायत 04

अपीलार्थी द्वारा	श्री ए.के.श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कं. 02 व 03 द्वारा	श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कमांक 04 द्वारा	श्री संजीव शर्मा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी कमांक 05 शासन द्वारा	श्री मनोज तिवारी ए.जी.पी.।

न्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, डबरा जिला ग्वालियर (श्री संजीव कुमार पालीवाल) के न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक 7/2019 (मनीष दुबे बनाम जीवनलाल आदि) के निर्णय दिनांक 28.12.2021 एवं डिक्री दिनांक 03.01.2022 से उद्भूत सिविल अपील।

—: : निर्णय : :—

(आज दिनांक 12.08.2025 को घोषित)

01— यह व्यवहार अपील क्रमांक 04/2022 एवं 07/2022 अंतर्गत धारा 96 सीपीसी, अपीलार्थी द्वारा न्यायालय, (श्री संजीव कुमार पालीवाल) के न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक 7/2019 (मनीष दुबे बनाम जीवनलाल आदि) के निर्णय दिनांक 28.12.2021 एवं डिक्री दिनांक 03.01.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। आलोच्य निर्णय द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है, जिससे विक्षुब्ध होकर यह अपीले प्रस्तुत की गयी है।

02— अपील क्रमांक 04/2022 की अपील में आगे अपीलार्थी को वादी, प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 05 को प्रतिवादीगण के नाम से संबोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार अपील क्रमांक 07/2022 की अपील में आगे अपीलार्थी को प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 01 को वादी एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 02 लगायत 05 को प्रतिवादीगण क्रमांक 01 लगायत 04 के नाम से संबोधित किया जा रहा है, जैसा कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में थे।

03— अपील क्रमांक 04/2022 मनीष दुबे बनाम जीवनलाल बघेल आदि तथा अपील क्रमांक 07/2022जसपाल सिंह बनाम मनीष दुबे आदि विचारण न्यायालय के प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस.ए 07/2015 में पारित एक ही निर्णय दिनांक 28.12.2021 के विरूद्ध पृथक—पृथक अपील पेश करने से उपरोक्त दोनों अपीलों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

04— विचारण न्यायालय में वादी की ओर से प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के विरूद्ध ग्राम अरूै तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 903 रकवा 0.45 हे. वंदोबस्त के पश्चात नवीन सर्वे क्रं. 610 रकवा 0.45 हे., सर्वे क्र. 905 रकवा 0.90 हे. वंदोबस्त के पश्चात नवीन सर्वे क्र. 612 रकवा 0.90 हे., रकवा 6 बीघा 9 बिस्वा (जिसे अत्र पश्चात वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जावेगा), के संबंध में स्वत्व घोषणा स्थायी

निषेधाज्ञा तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 05 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 21.04.2014 को वादी के हक के मुकाबले शून्य अवैध व निष्प्रभावी घोषित किये जाने व प्रतिवादी क्रमांक 03 व 05 से उक्त भूमि को अपने हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संपादित कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

05— प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि विचारण के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 03 ने प्रतिवादी क्रमांक 05 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के 1/3 भाग को विक्रय पत्र दिनांक 21.04.2014 के माध्यम से विक्रय किया था।

06— विद्वान विचारण के समक्ष प्रस्तुत व्यवहार वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 903 रकवा 0.45 हे. वंदोबस्त के पश्चात नवीन सर्वे क्र. 610 रकवा 0.45 हे., स्थित ग्राम अर्रू के प्रतिवादीगण क्र. 01 लगायत 03 द्वारा वादी के हक में 25,500/— रूपये प्रतिबीघा की दर से 1,64,500/— रूपये के प्रतिफल में विक्रय करने का वायदा करते हुए अग्रिम धनराशि 1,44,500/— रूपये रूबरू गंवाहन प्राप्त कर अवशेष धनराशि 20,000/—रूपये वक्त विक्रय पत्र दिनांक 13.09.2021 को प्राप्त कर विक्रय पत्र संपादित करने बाबत अनुबंध पत्र अपने स्वयं के निशानी अंगूठा कर व फोटो चस्पा कर तथा साक्षीगण रमेश शर्मा व नागेन्द्र दुबे के हस्ताक्षर कराकर व अनुबंधित भूमि का वादी का उसी दिन कब्जा प्रदान करते हुए जरिये नोटरी दिनांक 13.09.2000 को अनुबंध पत्र संपादित व निष्पादित किया। प्रतिवादीगण क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादी के पक्ष में संपादित अनुबंध पत्र के पालन में वादी अवशेष राशि 20,000/— रूपये प्रतिवादीगण को प्रदान कर अनुबंधित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संपादित कराने हेतु प्रारंभ से ही तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा है, किन्तु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संपादित कराने हेतु प्रारंभ से ही तैयार तत्पर व इच्छुक रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण सदैव टालमटोल करते रहे व उनके द्वारा अनुबंधित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी के कई बार मौखिक निवेदन किये जाने के बावजूद संपादित नहीं किया गया, जबकि वादी सदैव तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा है व वर्तमान में भी है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा उसके हक में संपादित अनुबंध पत्र दिनांक 13.09.2000 के पश्चात वादग्रस्त भूमि में अपने स्वयं के धन से दो बार कराये हैं, जिससे वह उक्त भूमि में सिंचाई करता है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादी के पक्ष में विवादित भूमि का अनुबंध पत्र संपादित किये जाने के बावजूद दौराने दावा प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा विवादित भूमि में अपने भाग 1/3 को बिना प्रतिफल व आधिपत्य के वादी के पास में अनुबंध पत्र होते हुए भी नुमाईशी व दिखावटी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.04.2014 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 05 को बिना बंटवारा बटांकन व सीमांकन के चतुर्सीमा दर्शित करते हुए विक्रय

कर दिया है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 05 द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 08 दिनांकित 19.12.2014 में तहसीलदार डबरा के न्यायालय में नामांतरण करा लिया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 05 का विवादित भूमि पर न कब्जा है, न उसके द्वारा उक्त भूमि पर कृषि की जा रही है। इस कारण प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 05 के हक में संपादित व निष्पादित विक्रय पत्र दिनांकित 21.04.2014 शून्य व अधिकार रहित होने से उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रमांक 03 व 5 से दौराने दावा विक्रय पत्र संपादित किये जाने से वादी के हक में उक्त भूमि का विक्रय पत्र संपादित कराया जाना योग्य है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 04 म.प्र.शासन को कृषि भूमि से संबंधित प्रकरणों में आदेश 1 नियम 3बी सीपीसी के पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होने से फार्मल पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण क्रमांक 01 लगायत 03 के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 10.12.2012 को उन्हे नोटिस प्रेषित किये जाने व प्राप्त हो जाने के बावजूद उनके द्वारा अपने अभिभाषक श्री गोविंद सिंह बघेल अधिवक्ता से नितांत असत्य जवाब प्रस्तुत कराने से तथा दिनांक 10.04.2013 को वादी वादग्रस्त भूमि में उसके द्वारा कोई फसल काटे जाने पर उनके द्वारा उक्त फसल को काटने से मना करने व जबरन झगड़ा होने तथा वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने की व अन्य बलवान व्यक्तियों को विक्रय करने की धौंस देने से उत्पन्न हुआ है।

07— प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की ओर से जवाबदावा पेश कर वादी के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 903 रकवा 0.45 हेक्टेयर 905 रकवा 0.90 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 6 बीघा 9 विस्वा स्थित ग्राम अरूं प्रतिवादीगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है और इसी आशय का रेवेन्यू कागजात में इंद्राज है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने वादी के हक में दिनांक 13.09. 2,000 को वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का कभी भी किसी प्रकार का वय अनुबंध पत्र संपादित नहीं किया और न ही उक्त विक्रय अनुबंध पत्र के पेटे 1,44,500/—रूपये प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने वादी से प्राप्त किये और न ही दिनांक 13.09.2001 को वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करना शेष बीस हजार रूपये प्राप्त करने व विक्रय पत्र संपादित करने का वायदा किया। उक्त वय अनुबंध पत्र तारीखी 13.09.2000 फर्जी एवं बनावटी है। जिस पर वादी ने अपने रिश्तेदार रमेश शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा निवासी—ग्राम सिमरिया ताल तहसील डबरा एवं अपने सगे भाई नागेंद्र दुबे पुत्र आर.के. दुबे निवासी—जंगीपुरा डबरा से मिलकर के प्रतिवादीगण के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के निशानी अंगूठा लगाकर, उक्त विक्रय अनुबंध पत्र की कूटरचना की है। प्रतिवादीगण वादी के यहां नौकरी करते थे। उस समय के वादी के पास प्रतिवादीगण के फोटो थे और उन फोटो का दुरूपयोग करते हुये वादी ने यह वय अनुबंध पत्र तारीखी 13.09.2000 की

कूटरचना की है। उक्त वय अनुबंध पत्र पर ग्राम अरू का कोई भी गवाह नहीं है तथा नोटरी पी.सी. स्वामी, एडवोकेट से मिलकर के उक्त वय अनुबंध पत्र को फर्जी एवं बनावटी तरीके से उसको नोटराइज्ड किया गया है जिस पर यदि देखा जाये तो पी सी स्वामी एडवोकेट नोटरी अपनी लिखावट से बचना चाहते थे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने उक्त लिखतम में गवाह के नाम पिता के नाम अंकित नहीं किये है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त अनुबंध पत्र फर्जी बनावटी तरीके से प्रतिवादीगण की संपत्ति जोकि बेशकीमती भूमि है उसको हडपने की एक साजिश है।

08— प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि उक्त अनुबंध पत्र दिनांक 13.09.2000 को हुआ है यद्यपि उक्त तथ्य से प्रतिवादीगण की इंकारी है। यदि उक्त वय अनुबंध पत्र को गंभीरतापूर्वक देखा जाये तो पेज क्रमांक 2 से तीसरी लाइन मे इबारत ''उक्त भूमि का कब्जा ग्रहिता को आज से करा दिया है'' बाद में लिखा गया है और दूसरे टाइपराइटर से लिखा गया है और ''उक्त भूमि का कब्जा ग्रहिता को आज से करा दिया है'' के प्रत्येक शब्द वय अनुबंध पत्र के शब्दों से अलग है। इसके अलावा यहां यह कहना भी उचित होगा कि उक्त वय अनुबंध पत्र में इकरारग्रहिता लिखा गया है कही पर भी ग्रहिता शब्द नहीं लिखाया गया है जबकि उक्त विवादित लाइन में केवल ग्रहिता शब्द का उपयोग हुआ है इसके अलावा उक्त वय अनुबंध पत्र की फोटो प्रति देखने से एवं असल प्रति यदि न्यायालय में प्रस्तुत की जाये तो उससे स्पष्ट हो जावेगा कि उक्त विवादित लाइन बाद में बढाई गई है केवल मुकदमे में अपना कब्जा दर्शित करने के लिए यह लाइन बाद में बढाई गई है। इस प्रकार से भी उक्त वय अनुबंध पत्र दिनांक 13.09.2000 फर्जी एवं बनावटी है ऐसे दस्तावेज के आधार पर वादी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

09— प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि वादी का वाकई में दिनांक 13.09.2000 से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होता और कब्जा प्राप्त किया गया होता तो निश्चित ही वादी रेवेन्यू कागजातों में अपना कब्जा इंद्राज कराता तो उसने आज दिनांक तक नहीं कराया है। क्या कारण रहा कि वादी ने आज दिनांक तक उपरोक्त भूमि पर अपना कब्जा अंकित नहीं कराया इसके अलावा वादी ने आज दिनांक तक वादग्रस्त भूमि का लगान अदा नहीं किया गया। यहकि, उपरोक्त वय अनुबंध पत्र तारीखी 13.09.2000 को देखा जाये तो दिनांक 13.09.2000 में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कराने की तारीख 13.09.2001 अंकित है वादी ने दिनांक 13.09.2001 के पूर्व किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्रतिवादीगण को नहीं दिया और ना ही दिनांक 13.09.2001 से दिनांक 12.09.2004 तक वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त वय अनुबंध पत्र के पालन कराने हेतु किसी भी

प्रकार का कोई नोटिस दिया। क्या कारण रहा कि उपरोक्त वय अनुबंध पत्र तारीखी 13.09.2000 के आधार पर नियत अवधि के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नोटिस अथवा वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। जब वादी ने यह देखा कि उक्त वय अनुबंध पत्र जो उसने फर्जी बनावटी तरीके से तैयार कराया है उसकी वाद प्रस्तुत करने की अवधि निकल चुकी है तो उसने वय अनुबंध पत्र के पेज क्रमांक 2 में लाइन क्रमांक 3 में ''उक्त भूमि का कब्जा ग्रहिता को आज से करा दिया है'' यह शब्द उपरोक्त दावा दायर करने की गरज से फर्जी एवं कूटरचित तरीके से अंकित किये है, अथवा कराये है।

10— प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि वादी ने तथाकथित वय अनुबंध पत्र तारीखी 13.09.2000 के आधार पर कोई वाद स्पेशिफिक परफोरमेंस आफ दि कांट्रेक्ट एण्ड सेल डीड की नालिस नहीं की है और उक्त अनुबंध पत्र दिनांक 13.09.2000 के आधार पर उपरोक्त वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का टेनेबल न होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं यहां पर यह भी कहना उचित होगा कि अनुबंध पत्र के आधार पर से किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिये भी वादी का वाद टेनेवल न होकर निरस्त किये जाने योग्य है। यहकि विवादित भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा धान की फसल के लिये संधाकर एक सा कर दिया गया हैं। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

11— प्रतिवादी क्रमांक 05 की ओर से वादी के वादपत्र के अभिवचनों को अस्वीकार कर अपना जबावदावा प्रस्तुत कर अभिवचन किये है कि ग्राम अर्रू तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0 में स्थित सर्वे क्रमांक 903 रकवा 0.45 है0, सर्वे क्रमांक 905 रकवा 0.90 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 6 बीघा 9 विस्वा ग्राम अर्रू में स्थित होना स्वीकार है लेकिन वादी को उपरोक्त भूमि को वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। यहकि, प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 13.09.2001 को 1,64,000/—रूपये में वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का अनुबंध पत्र संपादित किया जाना अस्वीकार है। वादी के द्वारा जो अनुबंध पत्र की प्रति प्रतिवादी क्रमांक 5 को उपलब्ध कराई है वह अनुबंध पत्र दिनांक 13.09.2000 का है दिनांक 13.09.2001 का नहीं है, वादी ने इस संबंध में अपने वादपत्र के पद क्रमांक 2 में कोई संशोधन नहीं किया। इसी पद में दिनांक 13.09.2000 को अनुबंध पत्र का पंजीयन नोटरी के यहां होना जो बताया है वह संदिग्ध है इस तथ्य को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी ने तत्पर इच्छुक होने के संबंध में जो अभिकथन किये है वह प्रमाणित नहीं है। अनुबंध पत्र के अनुसार रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के पंजीयन कराने की तिथि 13.09.2001 नियत की है, लेकिन दिनांक 13.09.2001 के पूर्व कोई रजिस्टर्ड सूचना पत्र वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को नही दिया और न ही

उप पंजीयक कार्यालय डबरा में आपत्ति दर्ज कराई। अनुबंध पत्र के पृष्ठ कमांक 2 की लाईन कमांक 3 में पंजीयन कराने के पश्चात तथ्य ''उक्त भूमि का कब्जा ग्रहीता को आज से करा दिया है'' वादी ने टाइपकर्ता से वाद में बढवा दिया है, बढी हुई लाइन अनुबंध पत्र के पृष्ठ कमांक 2 में दिख रही है। दिनांक 13.09.2000 से लेकर वर्तमान तक वादी का नाम कैफियत के खाना नंबर 12 में दर्ज नहीं है बल्कि कब्जा वैध भूमि स्वामी का बहैसियत भूमि स्वामी अंकित है। ग्राम चक ब्रिजपुर का बंदोबस्त होने के पश्चात सर्वे कमांक 903 रकवा 0.45 है0 का नवीन सर्वे कमांक 610 रकवा 0.45 है0 निर्मित हो चुका है एवं सर्वे कमांक 905 का नवीन सर्वे कमांक 612 रकवा 0.90 है0 निर्मित हो चुका है, राजस्व रिकार्ड में जीवनलाल पुत्र चरना का भाग 1/3, प्रभुदयाल पुत्र चरना का भाग 1/3 एवं जसपाल पुत्र करनैल सिंह का भाग 1/3 के रूप में भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी की हैसियत से अंकित है। प्रतिवादी कमांक 5 ने पूर्व भूमि स्वामी सेवाराम पुत्र चरना बघेल से रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.04.2014 को विकय पत्र मालयती 5,24,000/—रूपये में 0.45 है0 भूमि कय की, जिसकी चतुर्सीमा निम्नलिखित हैः—

पूर्व दिशा में—सरकारी कच्चा सैर सर्वे कमांक 904 लगा है।
पश्चिम दिशा में—मुसलमान का खेत सर्वे कमांक 906 लगा है।
उत्तर दिशा में—सरकारी कच्चा सैर, सर्वे कमांक 904 लगा है।
दक्षिण दिशा में—सहभागीदार जीवनलाल प्रभुदयाल के हिस्से की कृषि भूमि।
प्रतिवादी कमांक 5 का नामांतरण पंजी कमांक 8 दिनांक 19.12.2014 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी कमांक 5 का भाग 1/3 होकर रकवा 0.45 है0 का भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। वादी की प्रतिवादी कमांक 5 की भूमि में कोई बोर नहीं हैं।

12— प्रतिवादी कमांक 05 ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि वादी के पास स्वत्व का कोई दस्तावेज नही है, इसलिए भूमि स्वामी के स्वत्व प्राप्त होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी कमांक 5 के विरूद्ध उसके रजिस्टर्ड विकय, उसके नामांतरण एवं उसके आधिपत्य को 3 वर्ष की अवधि में चेलेंज नहीं किया जबकि प्रतिवादी कमांक 5 का विकय पत्र दिनांक 21.04.2014 का है जिसकी जानकारी वादी को है। वादी ने न्यायालय में सूची मुताबिक दस्तावेज दिनांक 22.03.2018 एवं दिनांक 02.05.2019 को प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 22.03.2018 को प्रतिवादी कमांक 5 को पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र तैयार किया, जिसे दिनांक 14.03.2019 को एक वर्ष के पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत किया। एक वर्ष तक आवेदन पत्र को क्यों लंबित रखा यह वादी के विवेक की बात है। वादी ने प्रतिवादी कमांक 5 के विरूद्ध वादकारण के संबंध में कोई संशोधन नहीं किया हैं इसलिए वादी का वाद वादकारण के अभाव में

निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

13— विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में निम्नांकित वादप्रश्नों के सम्मुख निम्नानुसार निष्कर्ष लेख किये है :—

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या प्रतिवादीगण कमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 903 रकवा 0.45 हे., सर्वे कमांक 905 रकवा 0.90 हे. कुल किता 2 कुल रकवा 6 बीघा 9 विस्वा स्थित ग्राम अरूं तहसील डबरा के संबंध में लिखतम इकरारनामा दिनांक 13.09.2000 निष्पादित किया था ?	''प्रमाणित''
2.	क्या लिखतम इकरारनामा दिनांक 13.09.2000 फर्जी एवं कूटरचित है ?	''अप्रमाणित''
3.	क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 903 रकवा 0.45 हे. सर्वे कमांक 905 रकवा 0.90 हे. कुल किता 2, कुल रकवा 6 बीघा 9 विस्वा स्थित ग्राम अरूं तहसील डबरा का आधिपत्यधारी है ?	''प्रमाणित''
4.	क्या वादी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में लिखितम इकरारनामा दिनांक 13.09.2000 के आलोक में उक्त दिनांक से प्रतिवादीगण कमांक 01 लगायत 03 की पूर्ण जानकारी में होकर बिना किसी रोकटोक के कृषि करते होने से वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो गया है ?	''अप्रमाणित''
5.	क्या प्रतिवादी क्रं. 01 लगायत 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि से वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	''प्रमाणित''
6.	क्या वादी के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क नहीं दिया गया है ?	''हॉ''
7.	सहायता एवं वाद व्यय	''निर्णय के पैरा क्रं. 42 के अनुसार वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर जयपत्रित किया गया''

8.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 को वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 05 को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था ?	''हॉ''
9.	क्या प्रतिवादी क्रमांक 05 वादग्रस्त भूमि का सद्भाविक क्रेता है ?	''हॉ''
10.	क्या वादी का वाद वास्ते विक्रय के अनुबंध के पालन का न होने से प्रचलन योग्य है ?	''अप्रमाणित''

14— उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 03 एवं 05 के आधार पर वादी का वादा आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

15— अपीलार्थी/वादी मनीष द्वारा अपील क्रमांक 04/2022 में प्रस्तुत अपील इस आधार पर पेश की है कि विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 04, 08 व 09 का निष्कर्ष उसके विरूद्ध प्रदाय किया है, जिससे अपील के माध्यम से वादप्रश्न क्रमांक 04, 08 एवं 09 को चैलेंज देते हुए उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादी के पक्ष में निर्णीत किये जाने हेतु यह आधार लिये है कि वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वत्व प्राप्त हो जाने के संबंध में उसके द्वारा अनुबंध पत्र दिनांक 13.09.2000 को पेश करते हुए स्वयं की एवं दोनों अटेस्टेट विटनेश की साक्ष्य अंकित करायी है, जिससे निरंतर अनुबंध पत्र दिनांक से वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करके चले आना प्रमाणित है। इस संबंध में स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया है, जिसे विचारण न्यायालय ने भी स्वीकार किया हैं और इसी आधार पर सम्यक प्रक्रिया अपनाये बिना बेदखल किये जाने से निषेदित किये जाने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की है। प्रतिवादीगण ने कब्जा वापसी हेतु न तो कोई दावा पेश किया है और न ही 12 वर्ष के अंदर अपना स्वत्व होना बताते हुए कोई काउंटर क्लेम या कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है, जिससे वादी के वादग्रस्त भूमि में स्वत्व उदभूत हो जाने के बाद भी उसके पक्ष में वादप्रश्न क्रमांक 04 निर्णीत न करते हुए उक्त निष्कर्ष निरस्त किये जाने योग्य है। इसी प्रकार वादप्रश्न क्रमांक 08 प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में सकारात्मक के रूप में निष्कर्षित किया गया है, जबकि दावा लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी क्रमांक 03 को प्रतिवादी क्रमांक 05 को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तब उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष वादी के विरूद्ध निष्कर्षित किये जाने में भी गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 09 का निष्कर्ष भी वादी के विरूद्ध सकारात्मक प्रदाय किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है। प्रतिवादी क्रमांक 05 को प्रतिवादी क्रमांक 03 ने वादग्रस्त भूमि का बंटवारा व सीमांकन कराये,

स्पेसविक चतुरसीमा दर्शित करते हुए विकय करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे उपरोक्त वादप्रश्नों के संदर्भ में दिये गये निष्कर्ष निरस्त करते हुए वादी को वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी घोषित किये जाने के संबंध में अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

16— उक्त अपील ज्ञापन के विरोध में प्रतिवादी कमांक 01 व 02 एवं 05 द्वारा कोई लिखित जवाब न देते हुए मौखिक रूप से व्यक्त किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न कमांक 04.08.2009 के संबंध में वादी के विरूद्ध जो निष्कर्ष उनके पक्ष में सकारात्मक रूप से दिये है, वह किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप योग्य न होने से वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

17— अपीलार्थी जसपाल सिंह/प्रतिवादी कमांक 05 द्वारा प्रस्तुत अपील कमांक 07/2022 में लिये गये अपील के आधार यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2021 एवं डिकी दिनांक 03.01.2022 विधि के विपरीत होने एवं वादपत्र के अभिवचन एवं प्रतिवाद पत्र के त्रुटिपूर्ण अभिवचन एवं बिना प्रमाण के होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी कमांक 05 का वादप्रश्न कमांक 02 के संबंध में यह कहना है कि वादी के द्वारा इकरारनामा दिनांक 13.02.2000 फर्जी व कूटरचित तैयार करके पेश किया गया है। इस संबंध में हृदेश गुप्ता स्टाम्प विकेता एवं नोटरी श्री टी सी स्वामी को साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया हैं तथा अनुबंध पत्र का निष्पादन के संबंध में वादप्रश्न कमांक 01 में दिया गया निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार वादप्रश्न कमांक 05 का निष्कर्ष भी प्रमाणित के रूप में गलत रूप से वादी के पक्ष में निष्कर्षित किया गया है। जहां वादी ने अनुबंध पत्र का पालन कराये जाने का दावा पेश नहीं किया है तब स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रचलन योग्य नही है तब इस संबंध में वादप्रश्न कमांक 10 भी अप्रमाणित के रूप में निष्कर्षित किये जाने पर विचारण न्यायालय ने गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है। वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्रतिवादी के विरूद्ध स्वामित्व के अभाव में गलत जारी की है जिससे वादप्रश्न कमांक 07 के संबंध में दिया गया निष्कर्ष भी गलत जारी किया है। वादप्रश्न कमांक 06 का निष्कर्ष भी वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के मूल्यांकन के संबंध में उचित रूप से निष्कर्षित नहीं किया है, जिससे अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त की जाकर वादी का सम्पूर्ण दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

18— उक्त अपील ज्ञापन के विरोध में प्रत्यर्थी कमांक 01/वादी मनीष दुबे द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त किया है कि विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न कमांक 04, 08 एवं 09 के अतिरिक्त शेष वादप्रश्नों के संबंध में

साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करते हुए वादी के पक्ष में उचित रूप से निष्कर्ष दिया है, तब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे।

19— इस अपील के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते है —

क.	विचारणीय प्रश्न
1.	क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न कमांक 01 व 03 के निष्कर्ष में वादग्रस्त भूमि के संबंध मे लिखितम निष्पादित विकय अनुबंध पत्र दिनांक 13.02.2000 को निष्पादित होना मानते हुए वादी को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी मानकर त्रुटि कारित की है ?
2.	क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न कमांक 02 के विनिश्चय में लिखितम इकरारनामा 13.02.2000 फर्जी एवं कूटरचित अप्रमाणित मानकर त्रुटि कारित की है ?
3.	क्या प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप कारित किये जाने को प्रमाणित माने जाने में त्रुटि कारित की है ?
4.	क्या वादी का दावा विकय अनुबंध पत्र के पालन में प्रचलन योग्य न होने को अप्रमाणित माने जाने में विचारण न्यायालय ने त्रुटि कारित की है ?
5.	क्या प्रतिवादी कमांक 05 वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा न करने संबंधी तथ्य को विचारण न्यायालय के समक्ष स्थापित किया गया है ?
6.	क्या विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न भूमि का वादी का स्वत्व प्रमाणित न पाने के संबंध में त्रुटि कारित की है ?
7.	क्या विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न कमांक 08 व 09 को वादी के विरूद्ध निष्कर्षित करने में त्रुटि कारित की है ?
8.	क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 28.12.2021 एवं 03.01.2022 अपील में हस्तक्षेप योग्य है, यदि हॉ तो किस सीमा तक ?

:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02—</u>

20— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न वादप्रश्न कमांक 01 लगायत 03 से

उद्भूत हुआ है, जिसके संबंध में अपीलार्थी / प्रतिवादी कमांक 05 जसपाल ने अपील में यह आधार लिया है कि विकय अनुबंध पत्र दिनांक 13.02.2000 फर्जी व कूट रचित था तथा साक्षीगण द्वारा अनुबंध पत्र फर्जी रूप से तैयार कर नोटरी एवं स्टांप विकेता की साक्ष्य अंकित नहीं करायी है तथा कब्जा देने के संबंध में इबारत पृथक से बढ़ायी गयी है। हस्तलेख विशेषज्ञ से भी सेवाराम प्रतिवादी कमांक 03 के संबंध में कोई जांच नहीं करायी गयी है। उपरोक्त आधार व तर्क के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख, निर्णय एवं संबंधित दस्तावेज का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उसके तथा प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 03 के मध्य निष्पादित विकय पत्र दिनांक 13.02.2000 प्रदर्श पी–01 के रूप में पेश किया गया है। उक्त दस्तावेज के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह आपत्ति लेने पर कि यह दस्तावेज उनके द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने शासकीय हस्तलेख अंगुष्ठ चिन्ह विशेषज्ञ ओ.पी.बाथम से परीक्षण कराया जाकर विशेषज्ञ द्वारा प्रदर्श पी–17 के संबंध में रिपोर्ट पेश की है तथा वादी ने हस्तलेख विशेषज्ञ ओ.पी.बाथम को इस संबंध में परीक्षित भी कराया है, उक्त साक्षी का प्रतिवादीगण द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण भी किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेज पर विचार करते समय इस तथ्य पर भी विचार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–17 के आधार पर प्रतिवादी जीवनलाल एवं प्रभुदयाल के अंगुष्ठ चिन्ह प्रदर्श पी–01 के विकय किरायानामा के समान है। उक्त दस्तावेज पर सेवाराम के अंगूठा निशान अंकित न होने अथवा उसके अंगूठा निशानी की जांच न कराये जाने को प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौति नहीं दी गयी है।

21– वादी द्वारा प्रदर्श पी–01 के दस्तावेज को प्रमाणित किये जाने के संबंध में अटेस्टेट विटनेस रमेश शर्मा (वा.सा.02) एवं नागेन्द्र दुबे (वा.सा. 03) को परीक्षित कराया है, जिन्होनें अपनी साक्ष्य के दौरान अनुबंध पत्र प्रदर्श पी–01 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उपरोक्त साक्षी ने प्रदर्श पी–1 पर उनके हस्ताक्षर होने के बिन्दु पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षण के दौरान अखंडित रहे हैं, इस संबंध में वादी एवं उपरोक्त साक्षीगण के कथनों का समर्थन साक्षी मुनेन्द्र दुबे, चन्द्रवंशी बघेल एवं जयप्रकाश शर्मा द्वारा भी किया गया है।

22– विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि उक्त अनुबंध पत्र 50 रूपये के स्टाम्प पर लेख होने से स्टाम्प ड्यूटी अदा की जाकर पैनल्टी अदा की जाकर उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राह्य किया गया है तथा प्रदर्श पी–01 पर प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 03 के छायाचित्र लगे होने के तथ्य को प्रतिवादी साक्षीगण द्वारा स्वीकार किया गया है, तब प्रदर्श पी–01 का दस्तावेज दिनांक 13.09.2000 को वादी व प्रतिवादी

कमांक 01 लगायत 03 के मध्य निष्पादित होना दर्शित होता है। हस्तलेख विशेषज्ञ के कथन एवं जांच प्रतिवेदन में ऐसा कोई भी तथ्य दर्शित नहीं होता है, जिससे शासकीय हस्तलेख विशेषज्ञ की साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती हो।

23— प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विकय अनुबंध पत्र के संबंध में यह अभिवचन नहीं किया है कि उक्त अनुबंध पत्र को धोखे से निष्पादित करा लिया था, क्योंकि उक्त दिनांक को एक विकय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया था, तब उसी दिनांक को अनुबंध पत्र भी बिना किसी प्रतिफल के धोखे से लेख करा लिया गया था, तब प्रतिवादीगण पर यह प्रमाण भार था कि वह विकय अनुबंध पत्र दिनांक 13.02.2000 को फर्जी व कूट रचित होना प्रमाणित करते, किन्तु उनके द्वारा इस संबंध में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया गया था कि विकय अनुबंध पत्र किस आधार पर फर्जी व कूट रचित है।

24— अतः इस स्थिति में वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विकय अनुबंध पत्र दिनांक 13.02.2000 का निष्पादन विधिवत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण उक्त लिखितम इकरारनामा को फर्जी व कूट रचित प्रमाणित करने में असफल रहा है, तब ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित है कि वादी एवं प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 03 के मध्य वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक विकय अनुबंध पत्र दिनांक 13.02.2000 को संपादित किया गया था, जिससे विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न कमांक 01 का निराकरण प्रमाणित एवं वादप्रश्न कमांक 02 का निराकरण अप्रमाणित के रूप में विधिवत रूप से साक्ष्य के आधार पर निष्कर्षित किया है, जिससे उक्त वादप्रश्न के संबंध में दिया गया निष्कर्ष किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप योग्य नहीं पाया जाता।

25— अपीलार्थी जसपाल द्वारा अपील के माध्यम से यह भी आपत्ति ली गयी है कि विचारण न्यायालय ने विकय अनुबंध पत्र के माध्यम से वादी को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी मानने में त्रुटि कारित की है। अभिलेख पर इस वादप्रश्न के संबंध में वादी द्वारा प्रदर्श पी—01 का अनुबंध पत्र पेश किया गया है तथा वादी मनीष दुबे (वा.सा.01) द्वारा इस आशय की साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है कि प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा सौंपते समय प्रदर्श पी—18 की भू—अधिकार ऋण पुस्तिका भी दी गयी थी। विचारण न्यायालय ने आधिपत्य के संबंध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया है कि प्रदर्श पी—01 के अनुबंध पत्र में जी से जी भाग की ईबारत दूसरे टाईपराईटर से लिखी है, जोकि पूरी अनुबंध पत्र की ईबारत से

भिन्न है तथा आधिपत्य के संबंध में अन्य साक्ष्य का अवलोकन कर खसरा प्रदर्श पी–25 एवं प्रदर्श पी–26, 29 के अनुसार समस्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज होकर वादी का नाम कॉलम नम्बर 12 में आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज न होना पाया है।

26– विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य इस आधार पर पाया है कि प्रतिवादी साक्षी बैजन्ती बाई ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका भाई जीवनलाल व प्रभूदयाल 20–25 वर्ष से खेती नहीं कर रहे हैं तथा वादी का 20–21 वर्ष से विवादित भूमि पर कब्जा है, तब उक्त स्वीकारोक्ति एवं वादी द्वारो अपने कब्जे से प्रदर्श पी–18 की भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी क्रमांक 05 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर ठेके से खेती कराये जाने के संबंध में हरप्रीत सिंह के कथन न कराये जाने के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा प्रमाणित पाया है।

27– यहां यह महत्वपूर्ण है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य होने के संबंध में कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 13.02.2000 से दावा प्रस्तुत किये जाने की दिनांक तक निरंतर रहा है। केवल वादी द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र प्रदर्श पी–01 इस संबंध में पेश किया है, जिसकी जी से जी संबंधित ईबारत का अवलोकन करने से ही प्रथम दृष्टया यह दर्शित हो रहा है कि उक्त ईबारत बाद में टाईप करके पृथक टाईपराईटर से बढ़ायी गयी है, जिसके टाईपिंग फॉन्ट प्रदर्श पी–01 के विक्रय अनुबंध पत्र के शेष टाईपिंग फॉन्ट से छोटे हैं तथा उक्त अतिरिक्त ईबारत पर न तो वादी के और न ही प्रतिवादी के किसी प्रकार के कोई लघु हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा है, बल्कि उक्त लाईन विक्रय अनुबंध पत्र के एक पैरा खत्म होने के बाद दूसरा पैरा प्रारंभ होने के मध्य टाईप किया गया है। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय की कंडिका 31 में यह लेख किया है कि प्रदर्श पी–01 के अनुबंध पत्र में जी से जी भाग की लाईन बढ़ाया जाना प्रकट है तथा राजस्व अभिलेख में वादी का आधिपत्य लेख नहीं है, तब केवल प्रतिवादी साक्षी बैजन्तीबाई (प्र.सा.02) के प्रतिपरीक्षण में आयी स्वीकारोक्ति को आधार बनाते हुए वादी का आधिपत्य प्रमाणित पाया है।

28– इस संबंध में यदि अभिलेख पर प्रतिवादी साक्षी बैजन्ती बाई (प्र.सा.02) की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे, तब प्रतिवादी द्वारा उक्त साक्षी को अपने समर्थन में केवल यह प्रमाणित कराये जाने हेतु परीक्षित कराया था कि दिनांक 13.02.2000 को वादी के पक्ष में एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था, जिसका प्रतिफल 1,44,000/– रूपये प्राप्त

किया था, जिस पर उसके अंगूठा निशान भी है, तब उक्त साक्षी को विक्रय अनुबंध पत्र प्रदर्श पी–01 की निष्पादन की जानकारी रही हो या उसके समक्ष उक्त अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाकर वादी को कब्जा सौंपा गया हो, इस आशय की साक्ष्य बैजन्तीबाई (प्र.सा.02) द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है, तब विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होने की स्वीकारोक्ति वादी का आधिपत्य प्रमाणित कराये जाने का आधार नही हो सकती है।

29– वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी होना बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर वादी को आधिपत्य प्राप्त होने का प्रमाण भार वादी/अपीलार्थी मनीष दुबे पर है। धारा 101 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई भी तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है, जो न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय इस विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दें। न्यायदृष्टांत **आर.व्ही.ई. वैंकटचला गौंडेर वि. आरूलनिगू विश्वैश्वरास्वामी एवं बी.पी.टेम्पल ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 4548** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि साबित करने का भार और सबूत के बार में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि साबित करने का भार उस व्यक्ति पर है, जिसे तथ्य को साबित करना है और यह कभी भी दूसरे पर अंतरित नहीं होता है, जबकि सबूत का भार साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर दूसरे पक्ष पर चला जाता है। इस प्रकरण में वादी द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र प्रदर्श पी–01 के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य प्राप्त होने संबंधी तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि प्रतिवादी साक्षी की स्वीकारोक्ति को आधार बनाकर स्वयं का आधिपत्य प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है।

30– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी को स्वयं अपने साक्ष्य के आधार पर अपने अभिवचन को प्रमाणित करना था, उसे प्रतिवादीगण की कमजोरी का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान नही की जा सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य विरूद्ध वासवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड एवं अन्य (2014) 2 SCC 269** के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :– The legal position, therefore, is clear that the plaintiff in a suit for declaration of title and possession could succeed only on the strength of its own title and that could be done only by adducing sufficient evidence to discharge the onus on it, irrespective of the question whether the defendants have proved their case or not. We are of the view that even if the title set up by the defendants

is found against, in the absence establishment of plaintiff's own title, plaintiff must be non-suited.

31— इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो भी खसरा वर्ष 2013—14 से लेकर वर्ष 2016—17 तक के पेश किये हैं, उनके अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होना दर्शित होता है। यदि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बोर लगाकर कृषि कार्य संपादित भी किया जा रहा है, तब आधिपत्य प्रमाणित किये जाने हेतु बिजली के बिल पेश किये जा सकते थे तथा यदि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगान भी अदा किया जा रहा था, तब खसरे में उसका नाम लगान अदा किये जाने के रूप में कॉलम नम्बर 12 में निश्चित रूप से दर्ज किया जाता है, केवल स्वयं के आधिपत्य से प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त भूमि से संबंधित भू—अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी—18 पेश करने से वादी का आधिपत्य वादग्रस्त भूमि पर स्थापित नहीं होता। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी क्रमांक 05 ने अपने समर्थन में प्रदर्श डी—05 का जो विक्रय पत्र पेश किया है, उसका अवलोकन करने से दर्शित होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 03 ने वादग्रस्त भूमि का 1/3 भू भाग का आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक 05 को प्रदाय किया है।

32— अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 03 के संबंध में दिया गया निष्कर्ष साक्ष्य की उचित विवेचना पर आधारित न होने से वादी का आधिपत्य वादग्रस्त भूमि पर प्रमाणित पाये जाने के संबंध में त्रुटिपूर्ण होकर हस्तक्षेप योग्य पाया जाता है, जबकि वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 के संबंध में दिया गया निष्कर्ष उचित विवेचना पर आधारित होकर हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 निराकृत किये जाते हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 —

33— अपीलार्थी जसपाल द्वारा प्रस्तुत अपील में उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में वादप्रश्न क्रमांक 05 को चुनौती देते हुए यह आधार व तर्क पेश किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य विधि के सिद्धांत को अनदेखा कर प्रमाणित माना गया है, जिससे वादप्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में गलत दिया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं मूल अभिलेख तथा निर्णय का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 05 का निराकरण करते समय वादप्रश्न क्रमांक 03 की विवेचना को आधार बनाकर वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना दर्शित पाते हुए वाद लंबन के दौरान

प्रतिवादी कमांक 03 द्वारा प्रतिवादी कमांक 05 को भूमि विक्रय करने तथा प्रदर्श पी–04 का नोटिस जो कि दिनांक 10.12.2012 को प्रतिवादीगण को दिया गया था एवं दिनांक 10.04.2013 को वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में बोई गयी फसल को प्रतिवादीगण द्वारा काटने से मना करने जबरन झगड़ा फसाद करने व वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने को आधार मानते हुए वादी के स्थापित आधिपत्य में बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये व्यवधान उत्पन्न करना प्रमाणित पाया है। पूर्वोक्त विवेचना में वादी का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं पाया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय का इस संबंध में दिया गया निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य होना पाये जाने के आधार पर यह पाया जाता है कि जब वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य ही प्रमाणित नहीं है, तब वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप कारित किया जाना स्वतः ही प्रमाणित नहीं होता। इसके अतिरिक्त, वादी ने दिनांक 10.12.2012 का प्रदर्श पी–04 का जो नोटिस पेश किया है, वह नोटिस विक्रय अनुबंध पत्र के निष्पादन के 12 वर्ष पश्चात बिना किसी कारण के प्रतिवादीगण को देना भी यह दर्शाता है कि दिनांक 10.12.2012 को प्रदर्श पी–04 का नोटिस दिये जाने का कोई भी आधार वादी द्वारा वादपत्र में नहीं दर्शाया है एवं दिनांक 10.04.2013 को ही प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का जो अभिवचन किया है, इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, तब वादप्रश्न कमांक 05 के संबंध में दिया गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होकर हस्तक्षेप योग्य प्रतीत होता है तथा यह निष्कर्षित किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादी के वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप कारित करने को प्रमाणित पाये जाने में त्रुटि कारित की है। तदानुसार उक्त विचारणीय प्रश्न का भी निराकरण किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 04 –

34– उक्त विचारणीय प्रश्न विचारण न्यायालय के समक्ष निर्मित वादप्रश्न कमांक 10 से उद्भूत है। उक्त वादप्रश्न में अप्रमाणित के रूप में दिये गये निष्कर्ष को प्रतिवादी कमांक 05/अपीलार्थी जसपाल द्वारा प्रस्तुत अपील में चुनौती दी गयी है। उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था, जिसमें से प्रतिवादी कमांक 05 के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को चुनौती नहीं दी गयी है। प्रतिवादीगण ने यहां यह आपत्ति ली गयी है कि वादी द्वारा प्रदर्श पी–01 के अनुबंध पत्र को आधार बनाते हुए स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है, जबकि विक्रय अनुबंध पत्र के पालन में भी दावा पेश न करने से उक्त दावा प्रचलन योग्य नहीं है।

35– अपीलार्थी जसपाल द्वारा अपील में भी उपरोक्त आधार लेते हुए

न्यायदृष्टांत **सुरेश कुमार वि. अनिल ककौरिया एवं अन्य 2018 (I) एम.पी. डब्लू.एन. 1** पेश किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई हक नहीं था, केवल उसे क्रय करने का करार था, जिसे वह प्रमाणित करने में असफल रहा है, जिससे करार नासाबित अभिनिर्धारित हो जाने पर उसके पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला था और न ही वाद दायर करने का अधिकार था, किन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे में वादी द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र को उसके पक्ष में निष्पादित किया जाना प्रमाणित किया गया है। इसी विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर वादी स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाया है, तब प्रस्तुत न्यायदृष्टांत में वर्णित तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे से भिन्न होने के आधार पर प्रतिवादी कमांक 05 को उपरोक्त न्यायदृष्टांत से किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, तब वादी विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर सकता है एवं जहां कि विक्रय अनुबंध पत्र के पालन की समय सीमा निकल चुकी हो, तब उक्त विक्रय अनुबंध पत्र के पालन की सहायता न चाहे जाने पर भी वादी द्वारा प्रस्तुत दावा चलने योग्य है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न कमांक 10 को अप्रमाणित पाये जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि करित नहीं की है, जिससे उक्त वादप्रश्न के संबंध में दिया गया निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य प्रतीत न होकर अपीलार्थी जसपाल द्वारा उक्त वादप्रश्न के संबंध में अपील में लिया गया आधार मान्य न किया जाकर उपरोक्त विचारणीय प्रश्न का निराकरण किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 05 –

36– यह विचारणीय प्रश्न विचारण न्यायालय के समक्ष निर्मित वादप्रश्न कमांक 06 को प्रतिवादी कमांक 05/अपीलार्थी जसपाल द्वारा अपील में चुनौती देने के आधार पर निर्मित किया गया है। अपीलार्थी जसपाल ने अपील में उक्त वादप्रश्न को चुनौती देते हुए मात्र यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय ने उक्त वादप्रश्न का निराकरण 'हॉ' के रूप में करते हुए वादी का वाद उचित मूल्यांकन मानकर पर्याप्त न्यायशुल्क मान्य किया है, जबकि उक्त वादप्रश्न का निराकरण ना के रूप में किया जाना था।

37– इस संबंध में मूल अभिलेख का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र दिनांक 21.04.2014 के विक्रय पत्र को शून्य अवैध, निष्प्रभावी घोषित किये जाने एवं अपने हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कराने की सहायता चाही गयी है। वादी द्वारा स्वत्व घोषणा के मूल्यांकन

1,64,500/— रूपये निर्धारित कर उक्त मूल्यांकन प्रदर्श पी—01 में वर्णित प्रतिफल की राशि के बराबर किया है तथा निषेधाज्ञा की सहायता हेतु मूल्यांकन 10,000/— रूपये किया है, जिस पर निर्धारित न्यायशुल्क 100/— रूपये व घोषणा हेतु 500 रूपये न्यायशुल्क अदा किया है, किन्तु विक्रय पत्र प्रदर्श डी—5 की प्रतिफल राशि अनुसार वाद का मूल्यांकन न करने से विचारण न्यायालय ने दावे का उचित मूल्यांकन न करते हुए पर्याप्त न्यायशुल्क अदा न करना प्रकट किया है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वादी प्रदर्श डी—05 के विक्रय पत्र का पक्षकार नहीं है, तब वह विक्रय पत्र की प्रतिफल की राशि के अनुसार मूल्यांकन करने व न्यायशुल्क अदा करने हेतु उत्तरदायी नहीं है। इस संबंध में **माननीय न्याय दृष्टांत अंबाराम विरूद्ध प्रमिला बाई 1997(1) एम0पी0एल0जे0 13 में** यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां वादीगण विक्रय विलेख का पक्षकार नहीं है। वादीगण वादग्रस्त संपदा को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया है, तो ऐसी दशा में घोषणा और निषेद्याज्ञा के संबंध में एडवेलरम कोर्ट फीस के लिए दायित्वाधीन नहीं है। अतः ऐसी दशा में यह पाया जाता है कि वादी ने स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराये जाने के संबंध में दावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है, तब इस आधार पर वादप्रश्न क्रमांक 06 के संबंध में दिया गया सकारात्मक निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य पाते हुए उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष नकारात्मक अथवा अप्रमाणित के रूप में किया जाना निष्कर्षित किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 06 —

38— अपीलार्थी/वादी मनीष दुबे द्वारा प्रस्तुत अपील में विचारण न्यायालय के समक्ष निर्मित वादप्रश्न क्रमांक 04 को चुनौती देने के आधार पर उक्त विचारणीय प्रश्न निर्मित किया गया है। वादी ने विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 13.09.2000 को आधार बनाकर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वत्व उद्भूत होने व वादग्रस्त भूमि पर निरंतर कब्जा होना बताते हुए स्वत्व घोषणा की सहायता चाही है। इस संबंध में अपीलार्थी मनीष दुबे ने अपील में लिये गये आधार के संबंध में यह तर्क भी पेश किया है कि विचारण न्यायालय ने इकरारनामा दिनांक 13.02.2000 के आलोक में स्थापित आधिपत्य माना है, जबकि प्रतिवादीगण ने विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में कब्जा वापसी हेतु कोई दावा पेश नहीं किया है, जिससे वादग्रस्त भूमि में भूमिस्वामी के स्वत्व उद्भूत हो जाने पर भी वादी का वादग्रस्त भूमि का भूमि स्वामी घोषित न करते हुए उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष अप्रमाणित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है।

39— अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में **सुघर सिंह वि. हरीसिंह (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य सिविल अपील क्रमांक**

5110 / 2021 एवं न्यायदृष्टांत **Nadiminti Suryanarayan vs Kothurthi krishna Bhaskara Rao civil Appeal No. 5517/2007** पेश किया है। उक्त न्यायदृष्टांत विक्रय अनुबंध पत्र के संबंध में वादी के तत्पर व इच्छुक रहने से संबंधित है, किन्तु वर्तमान दावा विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 13.02.2000 के 12 वर्षों बाद वादी द्वारा पेश किया गया है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व उद्भूत होने का सर्वप्रथम आधार विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 13.02.2000 को बनाया है। इस संबंध में धारा 54 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार विक्रय करार सम्पत्ति में क्रेता का कोई हित सृजित नहीं करता है। विक्रय करार का केवल विनिर्दिष्ट पालन करवाया जा सकता है। न्यायदृष्टांत **राम भाउ नामदेव गजरे विरूद्ध नारायण बापू जी धोत्रा (2004) 8 एस.सी.सी. 614** के अनुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय का करार प्रस्तावित क्रेता के पक्ष में सम्पत्ति पर कोई हित या भार सृजित नहीं करता है इस संबंध में न्यायदृष्टांत **स्टेट ऑफ यू.पी. विरूद्ध डिस्टिंक्ट जज (1997) 1 एस.सी.सी. 496 निर्णय चरण 7** भी अवलोकनीय है। **न्यायदृष्टांत धर्मा नायक विरूद्ध रामा नायक ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1276** के अनुसार विक्रय का अनुबंध अचल सम्पत्ति में कोई हित सृजित नहीं करता है, विक्रय का अनुबंध एक एक्सीक्यूटरी कान्टेंक्ट होता है जबकि विक्रय एक्जीक्यूटेंट कान्टेंक्ट होता है। न्याय दृष्टांत **कुमार गोन्सू साहब विरूद्ध मोहम्मद मिया उर्फ बावन ए.आई.आर. 2009 एस.सी.(सप्लीमेंट) 1254** के अनुसार अग्रक्रयाधिकार का अधिकार या हकशफा का अधिकार केवल विक्रय अनुबंध के आधार पर नहीं मांगा जा सकता जब तक की क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन न हो जायें।

40— इस प्रकार उपरोक्त विधिक उपबंध एवं न्यायदृष्टांत में पारित विधिक अभिमत से यह स्पष्ट है कि विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि का किसी भी प्रकार का स्वत्व अर्जित नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस संबंध में निर्णय की कंडिका 33 व 34 में उचित विवेचना की है। वादी ने विरोधी आधिपत्य के आधार पर भी स्वत्व उद्भूत होना बताया है, किन्तु प्रदर्श पी–01 के विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर वादी के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य सौंपा जाना पूर्वोक्त विवेचना से प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त, विक्रय अनुबंध पत्र के आधार पर वादी द्वारा दर्शाया गया आधिपत्य की प्रकृति भी विरोधी नहीं है, तब विरोधी आधिपत्य के आधार पर भी स्वत्व उद्भूत होना भी दर्शित नहीं होता। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक 04 की विवेचना की जाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है, जिसके आधार पर वादी का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने के संबंध में अप्रमाणित का निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार उक्त विचारणीय प्रश्न का निराकरण किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 07 –

41– अपीलार्थी/वादी मनीष दुबे ने वादप्रश्न कमांक 08 व 09 को चुनौती दी गयी है। इस संबंध में अभिलेख पर आयी साक्ष्य व दस्तावेज का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि वाद लंबन के दौरान प्रतिवादी कमांक 03 ने प्रतिवादी कमांक 05 के पक्ष में विकय पत्र प्रदर्श डी–5 संपादित किया गया था, जिसमें विकेता सेवाराम ने प्रतिवादी जसपाल के पक्ष में वादग्रस्त भूमि में स्वयं का 1/3 भाग अर्थात 0.45 हे. विकय किया था। वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये राजस्व अभिलेख में सेवाराम का नाम सहस्वामी के रूप में दर्ज है तथा विकय पत्र निष्पादन दिनांक को सेवाराम वादग्रस्त संपत्ति के 1/3 भाग का स्वामी था, तब वह अपने भाग को विकय व अंतरित करने हेतु विधिक रूप से सक्षम था। जहां तक प्रतिवादी कमांक 05 के वादग्रस्त संपत्ति के केता होने का प्रश्न है, तब प्रवितादी कमांक 05 ने विकय पत्र संपादित करते समय राजस्व अभिलेखों में प्रवितादी कमांक 03 का नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त संपत्ति कय की है, तब इस आधार पर भी प्रतिवादी कमांक 05 का सद्भाविक केता होना परिलक्षित होता है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त वादप्रश्नों की विवेचना करते समय उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचार किया है, जिससे वादप्रश्न कमांक 08 व 09 को सकारात्मक के रूप में निष्कर्षित किये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय ने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 08 –

42– इस प्रकार उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्नों की विवेचना करने के आधार पर अपीलार्थी जसपाल एवं अपीलार्थी मनीष दुबे द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में दिये गये आधार पर भी विवेचना करते हुए यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी जसपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील कमांक 07/2022 में लिये गये आधार वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी वादी को मानने के संबंध में एवं प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 03 द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप कारित करने तथा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा न करने के संबंध में निर्मित वादप्रश्न कमांक 03, 05, 06 में दिये गये निष्कर्ष के संबंध में आज्ञप्ति दिनांक 28.12.2021 एवं 03.01.2022 अपील में हस्तक्षेप योग्य है, जबकि वादप्रश्न कमांक 01, 02 एवं 10 के संबंध में दिये गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

43– अपीलार्थी मनीष दुबे द्वारा प्रस्तुत अपील कमांक 04/2022 में वादप्रश्न कमांक 04, 08 एवं 09 के संबंध में दिये गये निष्कर्ष अपील में हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होते है तथा उक्त वादप्रश्न के संबंध में विद्वान

विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

44— अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी मनीष दुबे द्वारा प्रस्तुत अपील क्रमांक 04/2022 सारहीन पाते हुए **'निरस्त'** की जाती है, जबकि अपीलार्थी जसपाल/प्रतिवादी क्रमांक 05 द्वारा प्रस्तुत अपील **'आंशिक रूप से स्वीकार'** की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 28.12.2021 एवं 03.01.2022 वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में अपास्त किया जाता है।

45— अपीलार्थी मनीष दुबे एवं अपीलार्थी जसपाल एवं प्रत्यर्थीगण प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए अपना—अपना वाद व्यय स्व्यं वहन करेंगे।

46— मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय 1961 के नियम 523 के अनुसार अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर देय हो।

47— तदानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

48— निर्णय एवं आज्ञप्ति की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख अविलंब वापस लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर कम्प्यूटर लेख किया गया।

(श्रीमती ज्योति राजपूत)
प्रथम जिला न्यायाधीश
डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

(श्रीमती ज्योति राजपूत)
प्रथम जिला न्यायाधीश
डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्रतिलिपि—

निर्णय एवं आज्ञप्ति की प्रति सहित विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख अविलंब वापस किया जाये।

JYOTI RAJPUT Digitally signed by JYOTI RAJPUT Date: 2025.08.12 17:07:30 +0530

(श्रीमती ज्योति राजपूत)
प्रथम जिला न्यायाधीश
डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)